Times of India 24.05.2020

Jhalsa rolls out three schemes to help migrants, poor

TIMES NEWS NETWORK

Ranchi: The Jharkhand State Legal Services Authority (Jhalsa) on Sunday launched three schemes — Kartavya, Shramev Vandate and Manavta — to help the underprivileged section in the state.

Of the three schemes, Kartavya will cater to jail inmates and their kin, Shramev Vandate is meant to facilitate the return of migrant workers and Manavta will provide food, shelter, medicine, counselling and other assistance to the underprivileged.

Launching the schemes online, the Chief Justice of Jharkhand high court, Dr Ravi Ranjan, said a civilization is not judged by its strengths in science, commerce or technology, but by the way it treats children, widows, women, disabled and the elderly.

He added, "I am happy that we have focussed our energy and resources to serve migrant labourers, widows, orphans, senior citizens and the family members of prisoners."

Speaking on the occasion, the executive chairman of Jhalsa, Justice H C Mishra, said that the definition of legal services is wider than what is provided in statutes. He added, "Nothing is permanent. The pandemic will also not be permanent. It will go away one day. However, our karmas will always be there."

Chief Justice Dr Ravi Ranjan said he is happy that Jhalsa is trying to serve migrant labourers, widows, orphans, senior citizens and family members of prisoners

Talking about the schemes, the honorary secretary of Jhalsa, A K Rai, said under Kartavya, para-legal volunteers will inform inmates about the benefits of parole, interim bail as well as the necessity of using masks, sanitizers and maintaining personal hygiene and physical distancing.

He added, "Jhalsa will also reach out to the families of inmates through panchayat-level legal service clinics, assess their need and take appropriate steps in coordination with the block and circle officers."

Indian Express 24.05.2020

JHALSA launches three schemes for pandemic hit people

SANJAY SAHAY

RANCHI: Chief Justice Dr Ravi Ranjan on Sunday launched three schemes to bring relief to the migrants workers, jail inmates and their families and the vulnerable sections of the society.

The schemes which would be implemented by Jharkhand State Legal Service Authority are namely Shramev Vandate, Manvta and Kartavya.

Speaking on the occasion the Chief Justice said, "I am happy that we have focussed our immense energy and resources to serve migrant labourers, widows, orphaned or uncared children, uncared old aged persons and family members of prisoners."

Among the projects Shramev Vandate aims to help migrant workers with food, medicine, shelter and all assistance in their endeavour to return.

JHLASA stated that as per an estimate more than eight lakh persons belonging to Jharkhand are working as labourers in unorganized sector in other states as construction workers, farm workers, domestic helps and auto rickshaw drivers.

The national lockdown made them workless.

They have run out of savings and in fact are under acute threat of starvation.

Finding no other way to survive, many of them are returning on foot. Similar is the condition of migrant labourers of other states.

The second scheme Kartavya is for jail inmates and their families. JHALSA's trained para legal volunteers shall inform the inmates about the benefit of parole, interim bail as well as necessity to use mask, sanitizer and maintain personal hygiene and physical distancing.

JHALSA would contact their families through Panchayat Level Legal Services Clinics and provide them basic needs in coordination with the block and circle officials.

The third scheme Manvta will provide food, medicine, shelter and counselling to vulnerable sections of society including children in need of care and protection, single women, widows and uncared senior citizens.

झालसा की तीन नयी योजनाओं की हुई शुरुआत

कोरोना संकट से जूझ रहे लोगों की मदद को आगे आयी न्यायपालिका

प्रमुख संवाददाता ▷ रांची

प्रवासी, विधवा, अकेली महिला, वृद्ध, कैदी और उनके परिजनों को दी जायेगी सहायता

झालसा के मुख्य संरक्षक और झारखंड हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन ने रविवार को झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के तीन प्रोजेक्ट की ऑनलाइन लांचिंग की. तीनों योजनाओं के माध्यम से कोरोना संकट से जूझ रहे झारखंड के लोगों की मदद की जायेगी. इन योजनाओं के नाम मानवता, कर्तव्य और श्रमेव वंदते रखे गये हैं.

हर जिले में श्रमिकों के लिए लॉग बुक : श्रमेव वंदते योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों के लिए हर जिले में लॉग बुक मेंटेन करना है. जिलों में आने के बाद सबसे पहले 14 दिन के लिए उन्हें कोरेंटिन करना है. सेंटर में उनके भोजन, दवाई, कपड़ा और साफ-सफाई का ख्याल रखा जायेगा. इसके बाद सरकारी योजनाओं के तहत मनरेगा, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर-पितांबर जल समृद्धि योजना, पीएम ग्रामीण आवास योजना और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जोड़कर लाभ पहुंचाया जायेगा.

कैदी व परिजनों को मिलेगी मदद : कोरोना संकट में अनाथ बच्चे, अकेली महिला, विधवा और वृद्ध की देखभाल करने को लेकर मानवता नाम से योजना बनायी गयी है. इसके तहत सभी जिलों का जिला विधिक सेवा प्राधिकार ऐसे लोगों की पहचान कर उन तक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायेगा. कैदी व उनके परिजनों को हर सुविधा देने के लिए कर्तव्य के नाम से योजना शुरू की गयी है. कोरोना संकट से प्रभावित लोगों को हर सुविधा देने को लेकर झालसा स्कीम-2020 शुरू की गयी है. इसके तहत कोरोना से बचाव, साफ-सफाई, मास्क, सेनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, जरूरतमंद को खाद्यान्न, मेडिसिन व अन्य सुविधा दिलाने का लक्ष्य है. इस मौके पर झालसा की ओर से एक गीत का भी शुभारंभ किया गया.

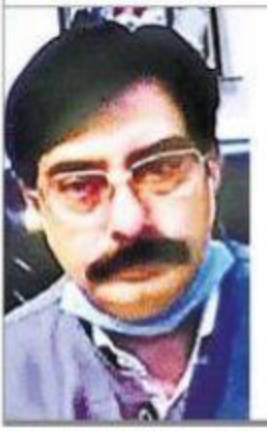

लोगों को हरसंभव मदद देने की कोशिश : चीफ जस्टिस रवि रंजन

मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने कहा कि कोरोना वायरस से हम सबको मिलकर लड़ना है. सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है. हर आदमी को अपने-अपने कर्तव्य का पालन सही तरीके से करना होगा. इस कार्य में झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेगा. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राज्य के लोगों को हरसंभव सहायता मिले.

19 लाख लोगों को झालसा कर चुका है मदद : झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस हरीशचंद्र मिश्रा ने कहा कि कठिन समय में हमें मिलकर लोगों की सहायता करनी है.

कोरोना संकट से...

विपरीत परिस्थिति में पहले भी झालसा लोगों की सहायता करता रहा है. झालसा अब तक 19 लाख से अधिक लोगों को विभिन्न प्रकार से मदद दे चुका है. इस तरह की स्कीम लांच करनेवाला झालसा देश में पहला विधिक सेवा प्राधिकार है. उन्होंने बताया कि अब जेलों में पीपीइ कीट का निर्माण प्रारंभ हो गया है. झालसा के सदस्य सचिव एके राय ने विषय प्रवेश कराया. झारखंड हाइकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के सचिव संतोष कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया. ऑनलाइन लांचिंग के दौरान जिला विधिक समिति के न्यायिक पदाधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे.

The Telegraph 24th May, 2020

Legal outfit reaches out

CHANDRAJIT MUKHERJEE

Ranchi: Taking note of the heroic efforts of teenager Jyoti Kumari, who pedalled her father from Gurgaon to her village in Bihar amid the Covid-19 pandemic, Jharkhand Legal Services Authority (Jhalsa) on Sunday launched schemes to help migrants and destitutes.

In an online webinar, Jharkhand High Court Chief Justice Dr Ravi Ranjan launched four schemes of Jhalsa to help the needy.

With this, Jhalsa became the first state legal services authority in India to launch schemes for those who need help during these tough times.

These are Manavta (for children and senior citizens), Shramev Vandate (for migrant labourers returning from other states), Kartavya (for jail inmates and their kin) and the Jhalsa (effective intervention for assistance to people during the pandemic Covid-19) Scheme, 2020.

Jhalsa executive chairman and high court Justice H.C. Mishra also addressed the webinar that other high court judges and office bearers of 24 district legal services committees of the state attended.

Addressing the conference online, Chief Justice Dr Ravi Ranjan said that in these difficult times, the whole nation is under threat and Jhalsa has also taken up the responsibility to help the needy and aid the government in its welfare scheme

"It will be a great sin to sit idle and be mute spectators. Jhalsa has a strong manpower base in the form of its paralegal volunteers. Migrant labourers coming or crossing through the state will be helped by Jhalsa," Ranjan said.

झालसा ने की मानवता, कर्तव्य और श्रमेव वंदते योजना की शुरुआत

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ. रवि रंजन ने ऑनलाइन किया शुभारंभ

राज्य ब्यूरो, रांची : कोरोना से प्रभावित लोगों की मदद के लिए झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) ने रविवार को तीन योजनाओं की शुरुआत की। मानवता, कर्तव्य और श्रमेव वंदते के नाम से शुरू की गई यह योजना महामारी के इस दौर में संकट का सामना कर रहे लोगों के लिए वरदान साबित होगी। योजनाओं की ऑनलाइन शुरुआत करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन ने कहा कि कोरोना से आज पूरा विश्व परेशान हैं। हम सभी को इससे मिलकर लड़ना है। सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती हैं। हर व्यक्ति को अपने-अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। झालसा भी इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। झालसा कोरोना से प्रभावित लोगों को न सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएगा, बल्कि इस महामारी से बचाव को लेकर उन्हें जागरूक भी करेगा। मौके पर झालसा की ओर से एक गीत भी जारी किया गया।

झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस हरीशचंद्र मिश्रा ने कहा कि यह कठिन समय है। हम सभी को मिलकर लोगों की सहायता करनी है। झालसा पूर्व में भी ऐसी कठिन घड़ी में आगे बढ़कर लोगों की सहायता करता रहा है। आने वाले समय में भी पूरे दमखम से वह इस समस्या से निपटने में लगा रहेगा। झालसा अब तक 19 लाख से अधिक लोगों को विभिन्न प्रकार से सहायता कर चुका है। इस तरह की योजना का शुभारंभ करने वाला झालसा देश का पहला विधिक सेवा प्राधिकार है। कार्यक्रम की शुरुआत झालसा के सदस्य सचिव एके राय ने की, जबकि हाई कोर्ट विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संतोष कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस दौरान हाई कोर्ट के सभी जज ऑनलाइन जुड़े थे। झालसा की तीसरी योजना 'कर्तव्य' जेल में रहने वाले कैदियों और उनके परिजनों का सुध लेगी। झालसा स्कीम 2020 के तहत शुरू की गई इन योजनाओं का फोकस कोरोना से बचाव, साफ-सफाई, मास्क व सैनिटाइजर की उपलब्धता, शारीरिक दूरी का अनुपालन, जरूरतमंद को खाद्यान, दवा समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराने पर है।

योजनाओं के ऑनलाइन उद्घाटन के दौरान रविवार को झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सचिव संतोष कुमार ● जागरण

एकल महिला, विधवाओं व बुजुर्गों के लिए 'मानवता'

महामारी के इस दौर में अनाथ बच्चे, अकेली महिलाएं, विधवाएं और बुजुर्गों के समक्ष गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई है। उनका ख्याल रखने के निमित्त 'मानवता' की शुरुआत की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ऐसे लोगों की पहचान कर व उन तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर मानवता का परिचय देगा।

प्रवासी श्रमिकों को समर्पित है 'श्रमेव वंदते'

श्रमेव वंदते योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों के लिए हर जिले में एक लॉग बुक मेंटेन किया जाएगा। जिले में आने के साथ ही सबसे पहले उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। सेंटर पर उन्हें भोजन, दवा, कपड़ा आदि मुहैया कराया जाएगा। साथ ही साफ-सफाई का ख्याल रखे जाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद मनरेगा, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर-पितांबर जल समृद्धि योजना, पीएम ग्रामीण आवास योजना और स्वयं सहायता समूहों आदि से जोड़कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा।

राज्य की अन्य खबरों को देखने के लिए www.jagran.com देखें

हिन्दुस्तान

24.05.2020

झारखंड के लोगों की मदद के लिए झालसा की पहल

ऑनलाइन लांच

रांची | प्रमुख संवाददाता

कोरोना संकट में झारखंड के लोगों की मदद करने और उन्हें सरकारी विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) ने तीन प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। प्रवासी मजदूरों, अनाथ बच्चों, विधवा और बुजुर्गों और लोगों का जागरूक करने के लिए अलग-अलग प्रोजेक्ट बनाए गए हैं।

चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन ने रविवार को तीनों प्रोजेक्ट को ऑनलाइन लांच किया। झालसा, डालसा और पारा लीगल वोलेंटियरों को सरकार के साथ समन्वय बना कर मदद पहुंचाने की अपील की। ऐसी स्कीम लांच करने वाला झालसा देश का पहला विधिक सेवा प्राधिकार है।

सभी जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जाएगी

झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस हरीशचंद्र मिश्रा ने कहा कि यह कठिन समय है। हम सबको मिलकर लोगों का सहायता करनी है। झालसा पूर्व में भी कठिन समय में आगे बढ़ कर लोगों की सहायता करता रहा है और आने वाले समय में भी अपने पूरे दमखम से इस समस्या से निपटने में पूरी तत्परता से लगा रहेगा। झालसा अब तक 19 लाख से अधिक लोगों को विभिन्न प्रकार से सहायता कर चुका है और आगे भी करता रहेगा।

प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रमेव वंदते : श्रमेव वंदते योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रत्येक जिले में एक लॉगबुक मेंटेन किया जाएगा। जिलों में आने वाले श्रमिकों को पहले 14 दिन कोरंटाइन किया जाना है। ऐसे सेंटर में भोजन, दवा, कपड़ा और साफ -सफाई का ख्याल रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें मनरेगा, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर-पीतांबर जल समृद्धि योजना, पीएम ग्रामीण आवास योजना और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जोड़कर उन्हें लाभ दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

बच्चों महिलाओं के लिए प्रोजेक्ट मानवता : प्रोजेक्ट मानवता में अनाथ बच्चे, अकेली महिला, विधवा और बुजुर्गों को रखा गया है। ऐसे लोग जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है उन्हें इस योजना के तहत मदद पहुंचाई जाएगी। इसके तहत सभी जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकार ऐसे लोगों की पहचान कर मदद पहुंचाएगा।

कैदियों के परिजनों के लिए कर्तव्य : जेल में बंद कैदी और उनके परिवार के लोगों को हर तरह की सुविधा देने के लिए कर्तव्य के नाम से योजना शुरू की गई है। इसके तहत कैदियों के परिजनों को जरूरत का सामान दिया जाएगा। उन्हें किसी प्रकार की परेशानी होने पर डालसा और पारा लीगल वोलेंटियर मदद करेंगे। जेल के अंदर भी कैदियों को जागरूक किया जाएगा और उनके परिजनों की जानकारी दी जाएगी।

ऑनलाइन उद्घाटन के मौके पर मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने कहा कि पूरा विश्व कोरोना से परेशान है। इससे हम सबको मिलकर लड़ना है। इस कार्य में झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेगा और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को हर संभव सहायता मिल रही है। मौके पर एक गीत का भी शुभारंभ किया गया।

दैनिक भास्कर

24.05.2020

चीफ जस्टिस ने किया झालसा के 3 प्रोजेक्ट का ऑनलाइन उद्घाटन

कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद के लिए मानवता कर्तव्य व श्रमेव वंदे योजना

सिटी रिपोर्टर | रांची

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन ने रविवार को झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के तीन प्रोजेक्ट को ऑनलाइन लांच किया। प्रोजेक्ट से कोरोना संकट से जूझ रहे झारखंड के लोगों की मदद की जाएगी। इन प्रोजेक्ट का नाम मानवता, कर्तव्य और श्रमेव वंदे रखा गया है। श्रमेव वंदे योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रत्येक जिले में एक लॉग बुक मेंटेन किया जाना है। जिलों में आने के बाद सबसे पहले 14 दिन के लिए उन्हें क्वॉरेंटाइन किया जाना है। सेंटर में उन्हें भोजन, दवाई, कपड़ा और साफ-सफाई का ख्याल रखा जाए। इसके बाद उन्हें सरकारी योजनाओं के तहत मनरेगा, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर-पितांबर जल समृद्धि योजना, पीएम ग्रामीण आवास योजना और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जोड़कर उन्हें लाभ दिया जाए। कोरोना संकट में अनाथ बच्चे, अकेली महिला, विधवा और बुजुर्ग देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उनकी सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए मानवता नाम से योजना बनाई गई है। इसके तहत सभी जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकार ऐसे लोगों की पहचान कर उन तक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इसके अलावा जेल में रहने वाले कैदी और उनके परिवार के लोगों को हर तरह की सुविधा देने के लिए कर्तव्य के नाम से योजना शुरू की गई है। कोरोना संकट से प्रभावित लोगों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से झालसा स्कीम 2020 की शुरुआत की गई है। इसके तहत मास्क, सेनिटाइजरव अन्य सुविधा दिलाई जाएगी।

ऑनलाइन उद्घाटन करते चीफ जस्टिस।

सरकारें अकेली कुछ नहीं कर सकतीं : जस्टिस

मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन ने कहा कि पूरा विश्व कोरोना से परेशान है। हम सब लोग भी परेशान हैं। इससे हम सबको मिलकर लड़ना है। सिर्फ सरकारें अकेली कुछ नहीं कर सकतीं, हर आदमी को अपने-अपने कर्तव्य का पालन सही तरीके से करना है। इस कार्य में झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेगा।

19 लाख को सहायता पहुंचा चुके हैं... झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस हरीशचंद्र मिश्रा ने लॉन्चिंग के दौरान कहा कि यह कठिन समय है। हम सबको मिलकर लोगों का सहायता करनी है। आने वाले समय में भी अपने पूरे दमखम से इस समस्या से निपटने में पूरी तत्परता से लगा रहेगा। झालसा अब तक 19 लाख से अधिक लोगों की सहायता कर चुका है और आगे भी करता रहेगा।